Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 94-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MAY 26, 2023 (JYAISTHA 5, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 मई, 2023

संख्या 9/22/2023–4कII.– हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 257 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 257 की उपधारा (5) के अधीन यथापेक्षित इससे प्रभावित होने के सम्भावय व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हो, जो आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन (संशोधन) नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, ''पिछड़े वर्गों'' शब्द जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर ''पिछड़े वर्गों 'क' '' शब्द, वर्ण तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''**3. समितियों की सीटों का निर्धारण.–** (1) प्रत्येक समिति की कुल सीटों की संख्या, सरकार द्वारा, हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या, ऐसी तिथि को, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के आधार पर निर्धारित की जाएंगी :

परन्तु जहां परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या, अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत से कम हो, तो क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत के बराबर जनसंख्या पर विचार किया जाएगा।

उदाहरण.– (i) जहां परिवार सूचना डाटा कोष के अनुसार जनसंख्या 150 है और अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार किसी वार्ड में मतदाताओं की संख्या 100 है, तो 140 प्रतिशत करने के बाद जनसंख्या 140 हो जाती है। इस दशा में, परिवार सूचना डाटा कोष के अनुसार जनसंख्या अधिक होने के कारण विचार में ली जाएगी।

(ii) जहां परिवार सूचना डाटा कोष के अनुसार जनसंख्या 125 है और अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार किसी वार्ड में मतदाताओं की संख्या 100 है, तो 140 प्रतिशत करने के बाद जनसंख्या 140 हो जाती है। इस दशा में, अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जनसंख्या अधिक होने के कारण विचार में ली जाएगी।

(2) प्रत्येक समिति के निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित या पुनः निर्धारित की जाएगी :–

समिति की जनसंख्या	सीटों की संख्या
10,000 से अनधिक	12
10,000 से अधिक किन्तु 20,000 से अनधिक	14
20,000 से अधिक किन्तु 30,000 से अनधिक	16
30,000 से अधिक किन्तु 40,000 से अनधिक	18
40,000 से अधिक किन्तु 50,000 से अनधिक	20
50,000 से अधिक किन्तु 60,000 से अनधिक	22
60,000 से अधिक किन्तु 70,000 से अनधिक	24
70,000 से अधिक किन्तु 80,000 से अनधिक	26
80,000 से अधिक किन्तु 90,000 से अनधिक	28
90,000 से अधिक किन्तु 1,00,000 से अनधिक	30
1,00,000 से अधिक किन्तु 3,00,000 से अनधिक	32

(3) अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सदस्यों की सीटों की संख्या प्रत्येक समिति में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाएगी :–

$$\frac{\text{कुल सीटों की संख्या X अनुसूचित जाति की जनसंख्या}}{\text{कुल जनसंख्या}}$$ ।''

4. उक्त नियमों में, नियम 3–क का लोप कर दिया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 7 में,–

(i) खण्ड (ख) में, अंक ''10'' के स्थान पर अंक ''20'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) अन्त में विद्यमान व्याख्या का लोप कर दिया जाएगा।''।

विकास गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 26th May, 2023

No. 9/22/2023-4CII.— The following draft of rules further to amend the Haryana Municipal Delimitation of Ward Rules, 1977, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred under clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 257 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), is hereby published as required under sub-section (5) of section 257 of the said Act, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the State Government on or after the expiry of a period of ten days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department, from any person in respect of the draft of rules before the expiry of the period so specified.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Haryana Municipal Delimitation Ward (Amendment) Rules, 2023.

2. In the Haryana Municipal Delimitation of Ward Rules, 1977, (hereinafter called the said rules), for the words "Backward Classes" wherever occurring, the words, alphabet and signs "Backward Classes 'A' " shall be substituted.

3. In the said rules, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely.-

"**3. Fixation of seats of Committees**.- (1) The total number of seats for each committee shall be fixed by the Government on the basis of the population drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021) on such date, as may be notified by the Government.

Provided that where the population as drawn from Family Information Data Repository is less than 140 per centum of the number of electors registered in such areas as per the last published Electoral Roll, then the population equal to 140 per centum of the number of voters in the electoral roll of the area shall be considered.

Illustration.- (i) Where the population as per Family Information Data Repository is 150 and the number of voters in a ward as per the last published electoral roll is 100, the population after 140 per centum comes to 140. In this case, the population as per Family Information Data Repository shall be considered being higher.

(ii) Where the population as per Family Information Data Repository is 125 and the number of voters in a ward as per the last published electoral roll is 100, the population after 140 per centum comes to 140. In this case, the population as per last published electoral roll shall be considered being higher.

(2) The number of seats to be filled by election on each committee shall be fixed or re-fixed in accordance with the following formula:-

Municipality with a population	**Number of seats**
Not exceeding 10,000	12
Exceeding 10,000 but not exceeding 20,000	14
Exceeding 20,000 but not exceeding 30,000	16
Exceeding 30,000 but not exceeding 40,000	18
Exceeding 40,000 but not exceeding 50,000	20
Exceeding 50,000 but not exceeding 60,000	22
Exceeding 60,000 but not exceeding 70,000	24
Exceeding 70,000 but not exceeding 80,000	26
Exceeding 80,000 but not exceeding 90,000	28
Exceeding 90,000 but not exceeding 1,00,000	30
Exceeding 1,00,000 but not exceeding 3,00,000	32

(3) The number of seats for members belonging to the Scheduled Castes shall be fixed in proportion to their population in each committee in accordance with the following formula:-

$$\frac{\text{Total number of seats X Population of Scheduled Castes .''}}{\text{Total Population}}$$

4. In the said rules, rule 3-A shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 7,-

(i) in clause (b), for the figure "10", the figure "20" shall be substituted.

(ii) explanation existing at the end shall be omitted.".

VIKAS GUPTA,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

10394—C.S.—H.G.P., Pkl.